<table>
<tr><th>आदेश की क्रम संख्या और तारीख़</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख़ के साथ</th></tr>
<tr><td>

19/12/2013</td><td>

सारण समाहरणालय, छपरा।
न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला विधि प्रशाखा
आपूर्त्ति अपील वाद सं0 97/2012
आशा देवी बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा
आदेश

संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2214 दिनांक 24.7.2012 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई।

वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.1.2012 को जिला स्तरीय जॉच दल द्वारा जन वितरण विक्रेता श्रीमती आशा देवी, अनुज्ञप्ति सं0 45/1988 पंचायत–दुगौली, प्रखंड–मशरक की दुकान की जॉच की गयी थी। जॉच के कम में निम्न अनियमितताएँ पाई गई थी। यथा– लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं पाया गया, संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं, कोई पंजी उपलब्ध नहीं कराना, कैशमेमो नहीं देना, उपकरण का सत्यापन नहीं कराना, बी0पी0एल0 का खाद्यान्न 20 किग्रा 152 रूपये में देना तथा 2.50 लीटर तेल 42 रूपये में देना। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा ने विक्रेता से कारणपृच्छा की मॉग के साथ दुकान से संबंधित सभी अन्य कागजात मूल में मॉग की गई। विक्रेता द्वारा प्राप्त कराए गए कारणपृच्छा से उनके उपर लगाए गए आरोप का खंडन नहीं होता बताया गया था। जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उठाव एवं वितरण की सूचना निगरानी समिति सदस्यों को नहीं दी जाती थी और न ही निगरानी समिति के सदस्यों के देख–रेख में वितरण कराया जाता था। उपकरणों का सत्यापन भी विक्रेता द्वारा नही कराया जाता था। विक्रेता अपने बचाव में कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा बताया गया। विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों तथा जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन तथा विश्लेषण करने से पाया गया था कि विक्रेता के द्वारा बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन एवं जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 2214 दिनांक 24.7.2012 द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रदद कर दी गयी थी।

अनुज्ञप्ति रदद करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित
</td><td></td></tr>
</table>